



Neutral Citation No.- 2026:AHC:6867

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 130 वर्ष 2026

कृष्णा मोहन मिश्रा

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	मुजीब अहमद सिद्दीकी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुजीब अहमद सिद्दीकी ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जिसमें 42,000 के ग्रेड पे के अनुसार या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को दिए गए पेंशन में संशोधन करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्य परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, और साथ ही परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 12.12.2025 के अभ्यावेदन/आवेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, अंतर्निहित दोष के कारण, निर्णय लेने का आदेश दिया जाए, और नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

12 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।